

सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ: दिनांक 16-5-2019

-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संविधान सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के त्वासात प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ ने सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदन नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता पूर्ण/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति को बैठक के मद्देन हेतु डिप्लोमा इन इंजी० पाठ्यक्रम संयोजित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा सक्षम विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

"संलग्नक-1 में अंकित तकनीकी पाठ्यक्रमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-1 में अंकित विवरण को अनुसार संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत् प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।"

उक्त निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उससे अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

| क्र. सं. | संस्था का नाम   | पाठ्यक्रम का नाम  | ए०आई०टी०आई०/पी०आई०आई० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|----------|---|---|--|--|
| 1        | 1881<br>आर०बी०, भारत फार्मेट हायर सेकेंडरी, लखनऊ, हायर-281208 | इंजीनियरिंग इजी<br>पेरेडिजल इंजी० (पी०आई०)<br>मिनिम इन्ड<br>मिनिम इजी० (इंजी०आई०)<br>मेकेनिकल इजी (इंजी०) | 60<br>60<br>60<br>60<br>60   | 60<br>60<br>60<br>60<br>60                           |

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०टी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित कुल्य तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,160.00/- प्रतिवर्ष को वार्षिक फार्मरी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (छे पंचम फार्मरी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०- 22,500.00 प्रतिवर्ष कुल्य ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से कुल्य के सम्बन्ध में सम्बन्ध-सामय पर भारत द्वारा निर्गत किये जाने वाले भारतवादेश प्रचारी होंगे, और सक्षमता कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। मौख निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु कीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो कीस की ग्योनतन दर जामु होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राथमिक शिक्षा विनियमों तथा उ० प्र० समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों को रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समग्र-संस्था पर निर्मित शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्यक्ता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आर्डीएन०१०१०३० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश हायरस द्वारा पत्राचार किये गये विधि/नियम/अधिनियम/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, ए०आर्डीएन०१०१०३० संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, ए०आर्डीएन०१०१०३० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, ए०आर्डीएन०१०१०३० द्वारा भेजे गये विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों एवं पत्राचार को धिये राख्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि बी०सी०आई० नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरप्रदेशीय संस्थाएं एक ही जगह और विभिन्न क्षेत्रों के विधियों की कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशकालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी वाद वापर किया जाता है तथा वापर बांध के संबंध में भी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रीप्युर्बि संस्थाओं को प्रवेश निर्मित किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया स्वयंभूत संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम समाहित करने वाली संस्थाओं को समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु आवंटित प्रारंभ होने के पूर्व प्रीप्युर्बिआर्डीएन० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद को सूचित होना आवश्यक होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कॉन्डिशनलिंग) के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्मित शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसी संस्था की ऐतिहासिक पुस्तिका, स्टाफ, सफल-सफल, उपकरण, प्राप्त किया जाने भला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि को विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शैक्षणिक रिकॉर्ड के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/समाहित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्दिष्ट समिति के समक्ष उपलब्ध कराने गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम को संभालने में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो इसका संस्था को सम्यक्ता संभाला किया जाने की अनुमति नहीं जाएगी।
- ✓ सम्यक्ता प्राप्त हो अनुमोदन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निधनानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सजीव कुमार सिंह)  
सचिव

पृ०सं०- प्राथम/परिषद/सम्यक्ता/2019/1133-2262

सप्ट दिनांक: 15-5-2019

प्रतिनिधि:- प्रधानाचार्य/निदेशक, आर०बी० गैसम पाली० हायरस आगरा रोड, सावनगढ़, हाथरस-201305

(सजीव कुमार सिंह)  
सचिव

**कार्यालय,  
समिति, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश (लखनऊ)**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक 15-9-2020

:-कार्यालय आश:-

अखिल भारतीय (सर्वोच्च) शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पारसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थी सार्वीय (सर्वोच्च) शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, 3090 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को प्रत्यक्ष प्राथमिक शिक्षा परिषद, 3090 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पुनः से स्थापित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/पत्रिका समता सुविधा समित अन्तर्गत पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त में अनुमोदन में सम्बद्धता समिति की बैठक के मधु-2 में विधेयक पुनः इजाजत पाठ्यक्रम स्थापित करने वाली पुनः से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

निम्नी क्षेत्र में स्थापित विद्यालय इन इजाजत पाठ्यक्रम स्थापित करने वाली विद्यालय सार्वीय (सर्वोच्च) शिक्षण संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, 3090 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में ए0आईसीटीआई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु गणयात अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए0आईसीटीआई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार प्रत्येक साल के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/पत्रिका समता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए0आईसीटीआई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुमोदन में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-09-2020 को आदेश सम्बद्धता समिति की बैठक में दिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुमोदन में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 3090 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों में अर्द्धीय पाठ्यक्रम एवं समता अंकित प्रवेश आदेश हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

| क्र. सं. | संस्था कोड | संस्था का नाम   | पाठ्यक्रम का नाम  | ए0आईसीटीआई0/आ0 अनुमोदित प्रवेश समता    | परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश समता |
|----------|------------|---|---|--|--|
| 1.       | 1884       | आर्य समाज प्राथमिक विद्यालय, इलाहाबाद (एन.ए.ए.ए.ए.ए.) | हिंदी इंग्लिश<br>हिंदी इंग्लिश<br>ए0आईसीटीआई0<br>एन.ए.ए.ए.ए.<br>इतिहास इंग्लिश<br>विज्ञान इंग्लिश<br>अभिव्यक्ति इंग्लिश | 80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80 | 80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80             |

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए0आईसीटीआई0/गोसी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद (सत्र 1992) तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1992, सेक्टर विनियमवारी-2016 तथा अन्य निर्मित विद्यालय एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा राज्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित कुलक तैल वार्षिक इजाजत पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक पारसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया हेतु रु० 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो इजाजत पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक पारसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया) हेतु रु० 22,500.00 प्रतिवर्ष कुलक ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के प्रतिवर्ष कुलक/संस्थाओं से कुलक के सम्बन्ध में समझ-समझ कर सार्वजनिक द्वारा निर्णय किये जाने वाले शरणादेशक प्रणाली होंगे, और तदनुसार कार्रवाई किया जाभा आवश्यक होगा। और निर्धारण समिति द्वारा बरि सत्र 2020-21 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो प्रवेश की नवीनतम बरि जारी होगी।



- ✓ संस्था की (उपरोक्त) प्रारम्भिक शिक्षा प्रक्रियाओं तथा अन्य सर्वाधिकारों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता। विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में सर्वोच्च प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आर्यटिप छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शीटों के लिए यह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन की निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समग्र-समग्र यह निर्देश आस्थापूर्वक से अनुसर निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को एडमिशन/प्रवेश/विद्यार्थी/विद्यार्थिनी से आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनने वाले शिक्षा/विद्यार्थी/अभियोग/शास्त्रादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये विद्यार्थी विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बध्य होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन पार्वर्ती पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि वे ही/आई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो इन संस्था में समस्त पाठ्यक्रम/संस्था का होगा और शिष्टिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक/उप निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी दायित्व/सिद्धांत नहीं है तथा उत्तर प्रदेश की संस्था में का पाठ्यक्रम प्राप्त किसी प्रकार की प्रक्रियाओं अथवा आदेश निर्देश किया जाता है तो समस्त प्रक्रियाओं सम्बन्ध संस्था को बननी होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन पार्वर्ती पाठ्यक्रम सम्बन्धित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अखिल शासक प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदनित प्रारम्भ होने के पूर्व विद्यार्थी/आई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद, शास्त्रादेश की सम्बद्धता कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (आवेदनित/सिद्धांत के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्देश नवीनतम आदेश निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को आगे देखा/उपरोक्त एवं संस्था की समस्त सुधारों जैसे संस्था की ऐतिहासिक पुस्तिकाएं, सभा, सभ्य-सभ्य, चयन, प्राप्त किया जाने वाला सुनिश्चित, उचित सुनिश्चित आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु उत्तर प्रदेश शासन/उत्तर प्रदेश शासन की चयन विभाग/संस्था को सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संयोजित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति को समस्त उपलब्ध कराने वाले अनिवार्य, सुनिश्चित, पार्वर्ती, चयन, इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्राध्यापक के सम्बन्ध में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उत्तर प्रदेश का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(का आर/के सिंह)  
सचिव

पुणे- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1672-2141

तददिनांक: 15-09-2020

प्राथमिक-आस्थापूर्व/निदेशक, आर/के सिंह, गीता पब्लिकेशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, आस्थापूर्व, उत्तर प्रदेश।

(का आर/के सिंह)  
सचिव

Office.Secretary, Council of Technical Education,Uttar Pradesh Lucknow.

No.- Praship/Council Affiliation/2021/3537

Lucknow: Dated: 09/08/2021

-Office memo:-

All India Council of Technical Education, New Delhi / Pharmacy Council of India, New Delhi for the academic session 2021-22 after the approval of diploma level technical educational institutions for grant of affiliation / affiliation extension to Technical Education Council, Uttar Pradesh Lucknow. On date- 08/08/2021, the meeting of the affiliation committee was completed in the council office. In the meeting, the committee decided to grant affiliation/affiliation extension for the session 2021-22, considering other items including affiliation to the new institutions applied for for the session 2021-22 / affiliation extension to the already operating institutions / course / admission capacity increase. Went.

In continuation of the decision taken in the meeting of the affiliation committee, the following institution is given affiliation extension for the course and admission capacity mentioned in it for the session 2021-22 by Technical Education Council, Uttar Pradesh Lucknow under the following conditions:-

**Organization Code & Name : 1651-RBGAUTAM POLYTECHNIC, HATHRAS, AGRA ROAD, SADABAD, HATHRAS-281306**

| Sl No. | name of course                                      | Admission Capacity approved by AICTE / PCI for the session | Admission Capacity approved by the Council for the session |
|--------|---|--|--|
|        |   | 2021-22  | 2021-22  |
| 1      | CIVIL ENGINEERING                                   | 45   | 45   |
| 2      | CIVIL ENGINEERING (ENVIRONMENT & POLLUTION CONTROL) | 45   | 45   |
| 3      | ELECTRICAL ENGINEERING                              | 45   | 45   |
| 4      | MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)                 | 45   | 45   |
| 5      | MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)                 | 45   | 45   |

Conditions for Affiliation

- ✓ The institution will fully comply with all the conditions laid down by AICTE / PCI.
- ✓ The institution will comply with the Uttar Pradesh Technical Education Council Act 1982 and Technical Education Council Regulations 1992, Semester Regulations-2016 and other made rules

orders and the fee prescribed by the Fee Fixation Committee is Rs. 30150.00/- per annum for three-year engineering courses, two-year pharmacy courses. For Rs. 45000.00/- per annum and for one- and two-year courses (in addition to two-year pharmacy course), only Rs. 22500.00/- per annum fee will be collected from each student. In addition to the above, the government orders issued by the government from time to time regarding fees from students will be effective. And action will be required to be taken accordingly. If the fees for the session 2021-22 are rescheduled by the Fee Fixation Committee, then the latest rates of fees will be applicable.

- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उ०प्र० समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/निघमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में अस्तफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक वृष्टि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ In case of non-compliance of affiliation conditions or violation of conditions, disciplinary action will be taken as per rules.

(Sunil Kumar Sonkar)

Secretary



copy:-

PRINCIPAL /DIRECTOR, RBGAUTAM POLYTECHNIC , HATHRAS,AGRA  
ROAD,SADABAD,HATHRAS-281306



(Sunil Kumar Sonkar)

Secretary